

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 17/2017-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2017

का.आ. (अ). भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में और बोर्ड की फ़ाइल स. 437/68/2010-Cus. IV से जारी आदेश दिनांक 14.12.2010 के अधिक्रमण में एतद्वारा प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमा शुल्क (न्हावा शेवा-I), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़ को मै. के. के. एंटरप्राइसेस, सिकंदराबाद और 9 अन्य को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस फा. स. VIII/26/38/2008-HRU दिनांक 14.10.2010 के मामले में समान न्यायनिर्णयन अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं।

[फा. सं. DRI/HQ-CI/50D/CAA-18/2017-CI]

(एस. जयप्रहासम)

संयुक्त निदेशक